

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.7(1)प्राशि/आयो/2017 दिनांक:01.01.2018 के द्वारा राज्य के समस्त जिलों में राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को दो वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में नवीन मान्यता/सीट अभिवृद्धि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.)/अभिज्ञा देने के नीतिगत निर्णय के क्रम में निम्नलिखित सोसायटी/संस्थानों द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर एफिलिएटिंग बॉडी के रूप में अनापत्ति शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अग्रोक्त कॉलम संख्यां 04 के अनुसारण में एतद्वारा जारी की जाती है।

क्र.स.	सोसायटी का नाम	सोसायटी द्वारा संचालित संस्थान का नाम	कोर्ट का आदेश/एन.आर.सी.
1	2	3	4
1	ग्लोबल एज्युकेशन सोसायटी, सांचौर जिला जालौर	ग्लोबल एज्युकेशन इंस्टीट्यूट, सांचौर जिला जालौर	संस्था का पत्र दिनांक 21.02.19

उक्त अनापत्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनिमय 2014 में उल्लिखित मानदण्डों तथा समय-समय पर राज्य सरकार / विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना की शर्त पर जारी की गई है, इनके उल्लंघन पर उक्त अनापत्ति बिना किसी पूर्व सूचना के प्रत्याहरित की जा सकेगी।



निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पंचायती राज(प्रा०शि०)विभाग
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 25.2.19

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/शिप्र/4485/एनओसी/19-20

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, नई दिल्ली
3. संबंधित सोसायटी/संस्थान.....
4. रक्षित पत्रावली



निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पंचायती राज(प्रा०शि०)विभाग
राजस्थान, बीकानेर